



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण 1939 (श0)
(सं0 पटना 651) पटना, मंगलवार, 25 जुलाई 2017

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

18 जुलाई 2017

एस0ओ0 126, दिनांक 25 जुलाई 2017—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का LXIII) की धारा-112 एवं 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कारखाना नियमावली, 1950 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ - (1) यह नियमावली बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली 1950 के नियम 95 की क्रम संख्या (20) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या (21) जोड़ी जायेगी:-“पत्थर के रूपान्तरण अथवा मुक्त सिलिका युक्त अन्य पदार्थ।”

3. उक्त नियमावली के नियम 95 के अनुसूची XX के पश्चात् निम्नलिखित नई अनुसूची जोड़ी जायेगी।

अनुसूची - XXI

पत्थरों का रूपान्तरण अथवा अन्य पदार्थ जिसमें मुक्त सिलिका युक्त अन्य पदार्थ मौजूद हो। निम्नलिखित गतिविधियों को पत्थरों या अन्य पदार्थ, जिसमें मुक्त सिलिका मौजूद हो, का रूपान्तरण माना जाएगा।

1. स्टोन क्रशर
2. रत्न एवं आभूषण
3. स्लेट पेंसिल निर्माण
4. गोमेद उद्योग
5. सिमेन्ट उद्योग
6. कुम्हारी
7. शीशा विनिर्माण

1. इस अनुसूची का लागू होना:- यह अनुसूची सभी कारखानों अथवा कारखानों के भागों में लागू होंगे, जहाँ मुक्त सिलिका का कार्य किया जा रहा हो।

2. परिभाषाएँ|- इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ-

(क) "रूपान्तरण" से अभिप्रेत है क्रशिंग, तोड़ना, चिपिंग, ड्रेसिंग, पिसना, छानना, मिश्रित करना, पत्थरों या मुक्त सिलिका युक्त अन्य पदार्थों का उठाना या वैसी अन्य प्रक्रियाएँ जिसमें उक्त पत्थर या पदार्थ शामिल हों।

(ख) "पत्थर या अन्य पदार्थ जिसमें मुक्त सिलिका मौजूद हो" से अभिप्रेत है

पत्थर या अन्य पदार्थ जिसमें मुक्त सिलिका की मात्रा 5% से कम ना

3. सुरक्षात्मक एवं नियंत्रक उपाय। – किसी कारखाने या कारखाने के किसी भी भाग में किसी प्रकार का रूपान्तरण का कार्य तब तक नहीं किया जाएगा, जबतक कि निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक सुरक्षात्मक एवं नियंत्रक उपायों को अपना नहीं लिया जाय।

(1) अभियांत्रिक नियंत्रक उपाय

(i) **आद्र पद्धति।** –(क) वायु में मुक्त रूप से उपस्थित सिलिका धूल को जल प्रयोग अथवा सफाई कर कम या दमन किया जाना चाहिए।

(ख) राजगीरी या कंक्रीट के तोड़े जाने या छेद करने की प्रक्रिया के दौरान जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ii) **रोशनदान।** –(क) उद्योग प्रक्रम से सिलिका धूल के निष्कासन के लिए स्थानीय निष्कासन प्रणाली का उपयोग होना चाहिए।

(ख) वृहत क्षेत्र में मुक्त सिलिका धूलकण की सघनता को कम करने हेतु तनुता/संवातन को अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत ही की जानी चाहिए।

(ग) धूल संग्राहक /HEPA फिल्टर को इस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए कि स्रोत तथा सभी स्थानान्तरित बिन्दु से धूल को हटाया जा सके ताकि कार्यस्थल को दूषित होने से रोका जा सके।

(घ) संवातन प्रणाली को अच्छी तरह से कार्यरत अवस्था में रखा जाना चाहिए।

(iii) **आईसोलेशन।** – (क) बालू विस्फोट की प्रक्रिया के दौरान परिशोधन पद्धति अपनाया जाना चाहिए।

(ख) वाहन या कण्टाई तथा छिद्र करने वाली मशीनों के केबिन जिसमें मुक्त सिलिका की मौजूदगी संभव हो, उसे बन्द एवं सील होना चाहिए।

(iv) **धूल नियंत्रण।** – (क) कार्यक्षेत्र तथा सभी स्थानान्तरण बिन्दुओं से धूल को हटाने के लिए उच्च क्षमता पदार्थ वायु (HEPA) फिल्टर युक्त निर्वात पद्धति का उपयोग होना चाहिए।

(ख) चूर्ण पदार्थों के वाहन हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहक पट्टा पूरी तरह ढका होना चाहिए।

परन्तु यह कि उपर्युक्त नियंत्रण उपाय को लागू करना आवश्यक नहीं होगा, यदि प्रक्रिया या संचालन इस प्रकार हो कि धूल निर्माण एवं प्रचलन इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित अनुज्ञेय सीमा से अधिक नहीं है।

(2) **चिकित्सीय नियंत्रक उपाय।** –(i) प्रत्येक कारखाना के नियोजक या प्रबंधक, जहां कामगार का नियोजन उप-नियम 1 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रम में किया गया हो, यह सुनिश्चित करेगा कि वहां कार्य करने वाले प्रत्येक कामगार का उसका प्रथम नियोजन के 15 दिनों के अन्दर कारखाना निरीक्षक (भैषज्य)/प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य जांच अवश्य कराया जाना चाहिए। इस स्वास्थ्य जांच में मूत्र एवं रक्त में लेड की मात्रा की जांच शामिल होगी। मूत्र में ALA की मात्रा, हिमोग्लोबीन अवयव, स्टीपलींग ऑफ सेल एवं स्थिरता की जांच शामिल किया जाना चाहिए। किसी भी कामगार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के उपरांत उस कारखाना में नियोजन की अनुमति प्रदान तबतक नहीं की जाएगी जबतक उसने प्रमाणक शल्य चिकित्सक से इस प्रकार के नियोजन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया है।

(ii) उक्त प्रक्रम में कार्यरत सभी कामगार की प्रत्येक बारह महीनों में कम से कम एक बार शल्य चिकित्सक द्वारा पुनः चिकित्सीय जांच किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार के पुनर्जांच में जहां भी शल्य चिकित्सक उपर्युक्त समझे उपवाक्य खण्ड (1) में वर्णित ग.तल को छोड़कर सभी प्रकार के जांच कर सकते हैं। इस ग. तल को उसी रेडियोलाजिस्ट द्वारा पढ़ा जाएगा जिसे आई0एल0ओ0 के नुमोकनिओसिस पर रेडियोग्राफ को पढ़ने के क्षेत्र में विशेषज्ञता/दक्षता हासिल हो एवं यह प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर किया जायेगा।

(iii) प्रमाणित करने वाले शल्य चिकित्सक, श्रमिक के चिकित्सीय परीक्षण के बाद विहित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करेगा। सभी स्वास्थ्य जांच एवं पुनः जांच को संबंधित प्रमाण पत्र में अंकित किया जाना चाहिए एवं सभी प्रमाणपत्रों को कारखाना के प्रबंधक की अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षणों से संबंधित अभिलेख, जो उप वाक्य खंड (1) तथा (2) जांच के प्रकृति एवं परिणाम वैसी सभी, की प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रपत्र पंजी के अभिलेखित किया जाना चाहिए।

(iv) यदि किसी भी समय जब प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक की यह राय हो कि श्रमिक इस प्रक्रिया में नियोजन के लिए स्वस्थ नहीं रह गया है एवं इस प्रक्रिया में कार्य करना उक्त श्रमिक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा वह श्रमिक उक्त नियोजन के लिए स्वस्थ नहीं है, तो वैसी सूचनाओं को भी वह स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य पंजी में अभिलेखित करेगा। वैसी सूचनाओं में यह भी अंकित होना चाहिए कि उक्त श्रमिक किस कार्य अवधि के लिए कार्य करने में असक्षम है। वैसे श्रमिक जिन्हें कार्य से हटाया गया है, तबतक उनका वैकल्पिक नियोजन किया जाना

चाहिए जबतक कि प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक उन्हें कार्य करने हेतु पूरी तरह से अयोग्य घोषित न करके, वैसे प्रभावित श्रमिक को उचित पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) वैसे व्यक्ति जिनको उप कंडिका (4) में वर्णित स्थितियों में कार्य करने में अक्षम घोषित किया गया हो, वे तबतक उक्त प्रक्रिया में पुनः नियोजित नहीं किये जाएंगे, जबतक कि प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक पुनः जाँच कर उन्हें उस उपक्रम में नियोजन के लिए योग्य घोषित न कर दें।

(vi) वैसे कारखाने जहां उक्त अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, के प्रबंधक/ नियोजक के द्वारा –

(क) नियोजित श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सक की नियुक्ति करेगा, जिसके नियोजन हेतु मुख्य कारखाना निरीक्षक की सहमति आवश्यक होगी।

(ख) नियुक्त चिकित्सक को कंडिका (क) में वर्णित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।

(vii) सभी चिकित्सीय परीक्षण तथा उपर्युक्त जांच के पश्चात् चिकित्सक द्वारा जारी सक्षमता तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र को अलग पंजी में अभिलेखित होना चाहिए, जो मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा अनुमोदित तथा उपलब्ध होना चाहिए एवं निरीक्षक द्वारा निरीक्षण हेतु मांगे जाने के समय पर सहज उपलब्ध कराया जाएगा।

(viii) प्रत्येक कामगार का स्वास्थ्य विवरणी नियोजन के शुरु होने से 40 वर्ष की अवधि के लिए या नियोजन के समाप्ति के 10 वर्षों के लिए, जो बाद में लागू हो, सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(ix) सिलिकोसिस से प्रभावित कामगारों का स्वास्थ्य विवरणी नियोजन शुरु होने के कम से कम 40 वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति के 15 वर्षों के पश्चात् जो बाद में लागू हो, सुरक्षित रखी जाएगी एवं कामगारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध रखी जाएगी।

(3) **प्रशासनिक नियंत्रण उपाय। – (i) कार्यस्थल/पर्यावरण अनुश्रवणः-** प्रबंधक को कार्यस्थल/पर्यावरण अनुश्रवण हेतु प्रभाव की मापांक/अभियांत्रिक नियंत्रण के सघनता की गणना/सुरक्षित स्वसन की प्रक्रिया/कार्य अभ्यास हेतु चिकित्सीय निगरानी की आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी।

(क) प्रभाव/सघनता की गणना कामगारों के वास्तविक स्वसन स्थान पर की जाएगी।

(ख) कुल प्रतिदर्श का समय कम से कम 07 घंटे की होगी।

(ग) कार्य स्थल/ पर्यावरण अनुश्रवण प्रत्येक तीन माह पर दुहराया जायेगा।

(घ) धूल प्रतिदर्श की विवरणी देखलकार द्वारा आमजनमानस के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) **प्रशिक्षण/ जागरूकता। – कामगारों को निम्न के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। –**

(क) मुक्त सिलिका धूलकण के प्रभाव का उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव।

(ख) प्रक्रियाएँ एवं पदार्थ जिससे खतरनाक श्रेणी के मुक्त सिलिका उत्पन्न होता है।

(ग) अभियांत्रिक नियंत्रण तथा कार्य अभ्यास जिससे धूल की सघनता को कम किया जा सकता है।

(घ) बेहतर गृह रक्षण एवं सफाई का महत्व।

(ङ) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यथा श्वसन पंप इत्यादि के कारगर उपयोग।

(च) व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यास जिससे इसका प्रभाव कम हो।

(iii) **गृह रक्षण फर्श का प्रबंधन। –** (क) सभी फर्श अथवा कार्यस्थल जहां काफी महीन धूलकण के जम जाने की पर्याप्त संभावना हो तथा जहां किसी व्यक्ति को कार्य करना हो या जहाँ से गुजरना हो वह अगम्य पदार्थ का बना होगा तथा इस स्थिति में प्रबंधन किया जायेगा कि उन्हें आर्द्र पद्धति से या अन्य किसी पद्धति से साफ किया जाये जो उन्हें हवा में मौजूद धूलकण से सुरक्षित रख सके एवं इस प्रक्रिया को कम से कम एक बार प्रत्येक पाली के दौरान किया जाना चाहिए।

(ख) इस प्रक्रिया के लिए शुष्क सफाई अथवा संपीडित वायु का प्रयोग धूलकण की सफाई के लिए किया जाये या आर्द्र प्रक्रिया या HEPA filter से युक्त निर्वात पद्धति का उपयोग किया जायेगा।

(ग) उपकरणों के उपर के धूलकणों को कम्पन, यातायात या हवा बहाव के कारण उड़ने के पूर्व साफ कर दिया जाना चाहिए।

(iv) **वस्त्र बदलने का कक्ष एवं धोने की सुविधा। –** (क) श्रमिकों के कपडे धोने तथा स्नानागार की सुविधा ऐसे सहज स्थान पर हो कि श्रमिक वहां आसानी से पहुंच सकें।

(ख) श्रमिकों को क्लॉक रूम की सुविधा व्यक्तिगत लॉकर के साथ प्रदान हो ताकि अदूषित वस्त्र को रखा जा सके।

(ग) श्रमिक कार्यक्षेत्र छोड़ने से पहले स्नान करेगा एवं कार्य स्थल पर व्यवहार में लाये गये कपडे बदलेगा।

(घ) कार्य में व्यवहार में लाये गये कपडे को झाडकर या हिलाकर साफ नहीं किया जायेगा।

(ङ) भोजन एवं जलपान गृह विस्फोटक स्थान से दूर अवस्थित होगा।

(v) **सूचनापट्ट का प्रदर्शन। –** (क) चेतावनी चिन्ह/पोस्टर का प्रदर्शन सुस्पष्ट रूप से मुख्य स्थानों पर किया जायेगा।

(ख) चेतावनी चिन्ह/पोस्टर में खतरनाक, सावधानियाँ आदि प्रदर्शित किया जायेगा।

(ग) सूचना का प्रदर्शन स्थानीय भाषा तथा वैसी भाषा में भी होगा जो ज्यादातर श्रमिक समझ सकें।

(vi) **व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण**।—प्रत्येक प्रतिष्ठानों जहां यह अनुसूची लागू होता हो, के दखलकारों/मालिकों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण BIS के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, उपलब्ध कराया जायेगा।

(क) धूल श्वास यंत्र

(ख) एच0ई0पी0ए0 (HEPA) फिल्टर श्वासयंत्र या धूम्र श्वास यंत्र

(ग) पूर्ण मुख ढका एच0ई0पी0ए0 (HEPA) फिल्टर श्वास यंत्र

(घ) सेल्फ कन्टेन्ड ब्रेदिंग अपरेटस (SCBA)

(ङ) पूर्ण मुख ढका, हैल्मेट या हुड युक्त हवा आपूर्ति श्वास यंत्र

(च) पूर्ण मुख ढका, SCBA।

(छ) HEPA फिल्टर युक्त यंत्र संचालित हवा शुद्धि श्वास यंत्र

(vii) **युवा व्यक्ति संबंधित निषेध**।— जहां रूपान्तरण संबंधी कार्य या इस प्रकार के कार्य किये जाते हैं। वहां युवा व्यक्ति का न तो नियोजन किया जायेगा और न ही उन्हें अन्य कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(viii) **छूट**।—यदि किसी कारखाने के संबंध में, मुख्य कारखाना निरीक्षक संतुष्ट होते हैं कि किसी असाधारण घटना के कारण या प्रक्रमों के आवृत्ति के या किसी अन्य कारण, सभी या कोई प्रावधान जो इस अनुसूची में हो, जो कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए आवश्यक नहीं, मुख्य कारखाना निरीक्षक एक लिखित इस प्रकार के कारखानों को सभी छूट या इस प्रकार के प्रावधान जो इस प्रकार के शर्तों से संबंधित हो, यदि कोई जैसा वह इसमें उल्लेख करे, कर सकता है।

(ix) सिलिकोसिस अथवा मुक्त सिलिका से होनेवाली पेशागत बीमारियों से संबंधित अधिसूचना को चिकित्सकों/शल्य चिकित्सकों द्वारा सख्त से लागू किया जायेगा एवं किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में चिकित्सकों/शल्य चिकित्सकों के विरुद्ध कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-89 (4) के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाई की जायेगी एवं इसमें प्राप्त की गई जुर्माना राशि को सिलिकोसिस राहत कोष में जमा किया जायेगा।

(सं0 1/एफ1-103/2013 श्र0सं0-3838)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र नारायण मिश्र,

सरकार के उप-सचिव।

18 जुलाई 2017

एस0ओ0 127, एस0ओ0 126, दिनांक 25 जुलाई 2017 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं0 1/एफ1-103/2013 श्र0सं0-3839)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अमरेन्द्र नारायण मिश्र,

सरकार के उप-सचिव।

The 18th July 2017

S.O. 126 dated the 25th July 2017—In exercise of the power conferred under section 112 and 87 of the Factories Act, 1948 (LXIII of 1948) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rule to amend the Bihar Factories Rules, 1950:-

1. Short title, extent and commencement—(1) These rules may be called The Bihar Factory (Amendment) Rules, 2017.

(2) It shall extend to the whole of State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of notification in official Gazette.

2. (1) After S.N. (20) of rule 95 of the said Rules the following S.N. (21) shall be added -"Transformation of stone or any other material containing free silica."

(2). After schedule (XX) of Rule 95 of the said Rules, 1950, The following new schedule XXI shall be added:-

Schedule -XXI

Transformation of stone or any other material containing free silica.

The following manufacturing activities shall be considered as transformation of stone or other material containing free silica:-

1. Stone Crushers
2. Gem and Jewellery
3. Slate Pencil Making

4. Agate Industry
5. Cement Industry
6. Pottery
7. Glass Manufacturing

1. Application of this schedule- This schedule shall apply to all factories or parts of factories in which the above said manufacturing activities containing free silica is carried on.

2. Definitions- For the purpose of this schedule -

(a) "Transformation" means crushing, breaking, chipping, dressing, grinding, sieving, mixing, grading or handling of stone or any other material containing free silica or any other operation involving such stone or material.

(b) "stone or any other material containing free silica" means a stone or any other solid material containing not less than 5% by weight of free silica.

3. Protective and Controlling Measures- No Transformation shall be carried out in a factory or part of a factory unless one or more of the following protective and controlling measures are adopted:-

(1) Engineering Control Measures- (i) Wet Methods:- (a) Airborne Silica Dust should be minimized or suppressed by applying water to the process or clean up;

(b) Water should be provided to drilling or sawing of concrete or masonry.

(ii) Ventilation- (a) Local exhaust systems should be used to remove silica dust from industrial processes.

(b) Dilution / Ventilation may be used to reduce free silica dust concentration to below the permissible limits in large areas.

(c) Dust collectors / HEPA filter should be set up so that dust shall be removed from the source and all transfer points to prevent contamination work areas.

(d) Ventilation systems should be kept in good working conditions.

(iii) Isolation-(a) Containment methods should be used while carrying out sand blasting.

(b) Cabins of vehicles or machinery cutting & drilling that might contain free silica should be enclosed and sealed.

(iv) Dust Control- (a) Vacuum system with High Efficiency Particle Air (HEPA) filter shall be used to remove dust from work areas and at all transfer points.

(b) The belt conveyors transferring crushed material shall be totally enclosed throughout its length.

Provided that such control measures as above said are not necessary if the process or operation itself is such that the level of dust created and prevailing does not exceed the permissible limit of Exposure specified in the Second Schedule of the Act.

(2) Medical Control Measures- (i) The occupier of every factory in which a worker employed in the processes specified in Sub Rule 1, shall ensure that every worker employed be examined by a Medical Inspector of Factories / Certifying Surgeon within 15 days of his first employment. Such medical examination shall include tests for lead in urine and blood. ALA in urine, haemoglobin content, stippling of cells and steadiness test. No worker shall be allowed to work after 15 days of his first employment in the factory unless certified fit for such employment by the Certifying Surgeon.

(ii) Every worker employed in the said processes shall be re-examined by a Certifying Surgeon at least once in every twelve month. Such re-examination shall, wherever the Certifying Surgeon considers appropriate, include all the tests as specified in sub-paragraph (1) except chest X-ray shall be read by a radiologist specialized/trained in the

field of reading ILO Radiographs on Pneumoconiosis and which will at least once in 3 Years.

(iii) The Certifying Surgeon after examining a worker shall issue a Certificate of Fitness in the prescribed Form. The record of examination and re-examinations carried out shall be entered in the Certificate and the Certificate shall be kept in the custody of the manager of factory. The record of each examination carried out under sub-paragraphs (1) and (2), including the nature and the results of the tests, shall be entered by the Certifying Surgeon in a health register Form.

(iv) If at any time Certifying Surgeon is of the opinion that a worker is no longer fit for employment in the said process on the ground that continuance therein would involve special danger to the health of the worker he shall make a record of his findings in the said Certificate and the health register. The entry of his findings in these documents should also include the period for which he considers that the said person is unfit for work in the said processes. The person so suspended from the process shall be provided with alternate placement facilities unless he is fully incapacitated in the opinion of the Certifying Surgeon, in which case the person affected shall be suitably rehabilitated.

(v) No person who has been found unfit to work as said in sub-paragraph (4) above shall be re-employed or permitted to work in the said processes unless the Certifying Surgeon, after further examination, again certifies him fit for employment in those processes.

(vi) The occupier of every factory to which the schedule applies, shall-

- (a) employ a qualified medical practitioner for medical surveillance of the workers employed therein whose employment shall be subject to the approval of the Chief Inspector of Factories and
- (b) provide to the said medical practitioner all the necessary facilities for the purpose referred to in clause (a).

(vii) The record of medical examination and appropriate tests carried out by the said medical practitioner certificate of fitness and health shall be maintained in separate register approved by the Chief Inspector of Factories, which shall be kept readily available for inspection by the Inspector and produce on demand.

(viii) The Health Records of each workman shall be kept for a period of 40 years from the date of beginning of the employment or 10 years after the cessation of the employment, whichever is later.

(ix) The Health Records of the workers exposed to silcosis, shall be kept up to a minimum period of 40 years from the beginning of the employment of 15 years after retirement or cessation of the employment, whichever is later and shall be accessible to workers concerned or their representatives.

(3) Administrative Control Measures-(i) Work place/ Environment Monitoring:

The occupier to ensure work place/ environment monitoring to be performed to determine magnitude of exposure/concentration to evaluate engineering controls, selecting respiratory protection, work practices and the need for medical surveillance.

- (a) Exposure / concentration measurements should be made in the employee's actual breathing zone.
- (b) Total sampling time shall be at least 7 hours.
- (c) Work place/Environment Monitoring shall be repeated quarterly.
- (d) The report of dust sampling by occupier shall be made available to the public.

(ii) Training / Awareness- Workers shall be trained in the following:-

- (a) Health effects of free silica dust exposure.

- (b) Operations and material that produce free silica dust hazards.
- (c) Engineering controls and work practice controls that reduce dust concentration.
- (d) The importance of good house keeping and cleanliness.
- (e) Proper use of personal protective equipment such as respirators etc.
- (f) Personal hygiene practices to reduce exposure.

(iii) Housekeeping: Maintenance of floors- (a) All floors or place where fine dust is likely to settle on and whereon any person has to work or pass shall be of impervious material and maintained in such condition that they can be thoroughly cleaned by a moist method or any other method which would prevent dust being airborne in the process of cleaning once at least during each shift.

(b) For this purpose dry sweeping or compressed air shall be used for cleanup of dust or wet methods or vacuum system with a HEPA filter shall be used.

(c) Dust on over head ledges and equipment should be removed before it becomes airborne due to vibration, traffic and random air current.

(iv) Change room and washing facilities- (a) Washing and bathing facilities shall be conveniently located at a place easily accessible to the workers.

(b) Cloak room with individual lockers shall be provided for employees to store uncontaminated clothing.

(c) Workers shall take bath and change the work clothes before they leave the work site.

(d) Work clothes shall not be cleaned by blowing or shaking.

(e) Eating / lunch areas shall be located away from exposed areas.

(v) Display of Notices-(a) Warning signs / Posters shall be displayed conspicuously in a prominent place.

(b) The warning signs / posters shall contain the Hazards precautions.

(c) The display of notice shall be in the local language and also in the language understood by the majority of the workers.

(vi) Personal Protective Equipment- The occupier of the every factory to which this schedule apply shall provide the following PPEs as per relevant BIS Standards and as applicable to a given work place.

(a) Dust respirator.

(b) HEPA filter respirator or fume respirator.

(c) HEPA filter respirator with full face piece.

(d) Self contained breathing apparatus (SCBA).

(e) Supplied air respirator with a full face piece, helmet or hood.

(f) SCBA with full face piece.

(g) Powered air purifying respirator with a HEPA filter.

(vii) Prohibition relating young person's- No young person shall be employed or permitted to work in any of the operations involving manipulation or at any place where such operations are carried out.

(viii) Exemptions- If in respect of any factory, the Chief Inspector is satisfied that owing to the exceptional circumstances or in frequency of the processes or for any other reason, all or any of the provisions of this schedule is not necessary for protection of the workers in the factory, the Chief Inspector may be a certificate in writing, which he may in his discretion revoke at any time, exempt such factory from all or any of such provision subject to such conditions, if any, as he may specify therein.

(ix) The notification of silicosis and free silica related occupational diseases by Medical Practitioner / Certifying Surgeon should be strictly enforced and in case of any

violation, the Medical Practitioner/Certifying Surgeon shall be liable to be prosecuted under sec 89 (4) of the Factories Act, 1948. The fine so collected shall be deposited in the silicosis relief fund.

(No.1/F1-103/2013 L&R-3838),
By order of the Governor of Bihar,
Amrendra Narayan Mishra,
Deputy Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 651-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>